164.

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 6165 /2017 निगरानी शिवपुरी

निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/6165

भरोसी पुत्र भागचंद रावत

निवासी ग्राम ख्यावदाकला कला

तहसील व जिला शिवपुरी म.प्र.----प्रार्थी

श्री आर० के० अग्रवाल, अभि० द्वारा आज दि० 18-12-17 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-1-18 नियत। 18-12-17 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

म.प्र. शासन ---------- प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 8-11-17 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी माननीय महोदय के समक्ष निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विपरीत विधान प्रकरण पत्रावली के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि, अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रार्थी को बिना उनकी बिना मोना दिये बिना नोटिस दिये एकतरफा महज प्रकरण में खाना पूर्ति कर पटवारी से वाला रिपोर्ट लेकर सहिता एवं संहिता के अन्तर्गत बने नियमों के अनुरूप न तो नोटिस जारी किये और न ही निर्वाह कराये गये तथा अनियमित कार्यवाही कर सर्वेनं. 30 एवं 42 पर क्रमांक 0.8 एवं 0.17 कुल रकवा 0.25 है. पर वर्ष 2014, 15 में अतिक्रमण मानकर 20000 रू. अर्थदण्ड आदेशित कर बेदखल करने का आदेश 17-9-14 को दिया गया जो कानून व नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गोर न करने से त्रुटि आदेश निरस्त होने योग्य है।

A.K. AGARWAL 18-12-17

3- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने न तो प्रार्थी का अतिक्रमण का स्वरूप का वर्णन किया और न ही अतिक्रमण होना सिद्ध किया। पटवारी के कथन नहीं है और न ही कोई पंचनामा एवं स्वत्व साक्ष्य होना प्रकरण में सिद्ध है। फिर भी प्रार्थी को अतिक्रमण मानने में भूल की है प्रार्थी ने स्वयं अधीनस्थ

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक / निग0 / शिवपुरी / भू.रा. / 2017 / 6165 जिला – शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–1–18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.के. अग्रवाल एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता पर सुना गया । 2/ उभयपक्षों द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में है । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक का शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा पाए जाने के कारण उसे प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किए जाने एवं 20000/– अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश दिए गए । इस आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । इस प्रकार प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । उक्त समवर्ती निष्कर्ष क्योंकर विपरीत हैं इस संबंध में कोई ठोस वैधानिक स्थिति आवेदक अधिवक्ता द्वारा नहीं बताई जा सकी है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	